

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


### आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/स.प.अ./ 112 /2025

दिनांक : 20.02.2025

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)/स.प.अ./02/2025 दिनांक 04.01.2025 के द्वारा श्रीमती कृष्णा राकेश काँवत (RJ00811), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, जयपुर महानगर-द्वितीय को दिनांक 06.01.2025 से 24.01.2025 तक 19 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 05.01.2025 एवं 25.01.2025 से 26.01.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 06.01.2025 का एक दिवस का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से


  
20/02/25  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/93/2013/1576

दिनांक 20.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय को उनके पत्रांक 410 दिनांक 29.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती कृष्णा राकेश काँवत (RJ00811), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, जयपुर महानगर-द्वितीय।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, जयपुर महानगर-द्वितीय।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, जयपुर महानगर-द्वितीय।

  
20/02/25  
सहायक रजिस्ट्रार